

विचार बिन्दु

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शक्ति का आश्रय लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भौतिक शरीर इस आत्मा को धारण करने के लिए विवश होता है। -गेटे

धर्मांतरण का आपराधिक कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को 3 फरवरी, 2025 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था। अब घोषणा की गई है कि उसे पारित करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने उसे और अधिक कठोर बनाया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबर्न धर्म परिवर्तन को रोकना बताया गया है। विधेयक में अनेक धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर-जमानतो अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपराधियों को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का परिचय जबर्न धर्मांतरण के उन बड़े मामलों को रोकने की व्यवस्था के रूप में दिया गया है, जिसे इन दिनों 'लव जिहाद' कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल भाजपा और उसके सहयोगी उन मामलों का वर्णन करने के लिए करते हैं जहां मुस्लिम पुरुष कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से विवाह उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए करते हैं। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक कमजोर व्यक्तियों को धर्मांतरण से बचाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नये कठोर विधेयक को मंजूरी देना शासनरुद्ध दल के अति उत्साह को दर्शाता है। हालांकि, ऐसे विधेयक का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक विभाजन पैदा करने के ब्यापक एजेंडे का हिस्सा है किन्तु सरकार का तर्क है कि यह कानून राज्य में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य धर्मांतरण से जुड़ी जटिलताओं से निबटना है।

राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का पहला प्रयास 2006 में किया था, जब भाजपा नेता वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सत्ता में आई थीं। राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2006 का उद्देश्य बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना था। कांग्रेस, मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों ने यह कह कर उसका विरोध किया था कि यह कानून हिंदू समूहों को खुश करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने वह विधेयक वापस कर दिया था। फिर 2008 में, संबंद्धित जिला कलेक्टर को पूरा स्वीकृति अनिवार्य करने सहित नए प्रावधानों के साथ विधेयक का संशोधित संस्करण भी केंद्र के पास अटका रहा। राजे ने मुख्य मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल (2013-2018) में 2008 के विधेयक को लागू करवाने की कोशिश की और उसे केंद्र के सामने रखा, जिसने नवंबर 2017 में यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह राष्ट्रीय नीति से भटक गया है। कानून के अभाव में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 में जबर्न धर्मांतरण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। वैसे धर्मांतरण विरोधी कानून, जिन्हें अक्सर "धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है, का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में पहली बार 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हिंदू रियासतों द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों के सामने हिंदू धार्मिक पहचान को बचाने के प्रयास के रूप में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किये गये थे। स्वतंत्रता के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए कई प्रयास होते रहे हैं। पहला प्रयास 1954 में किया गया जब भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के लाइसेंस और धर्मांतरण के पंजीकरण को लागू करना था। इसके बाद, संसद में कुछ और निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हो सका क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका। वर्ष 2015 में, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कानून बनाने के खिलाफ सलाह दी। उसका कहना था कि केंद्र द्वारा कानून बनाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत धर्म पूरी तरह से राज्य का विषय है। बाद में इसलिए, कई राज्य सरकारों ने बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से किए गए धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए "धर्म की स्वतंत्रता" अधिनियम बनाए हैं। वर्तमान में 12 राज्यों में ऐसे अधिनियम लागू हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ कुछ प्रदेश हैं। इन राज्य-स्तरीय कानूनों के सामान्य प्रावधानों में धर्मांतरण की अनिवार्य रूप से पूर्व सूचनादेना, 'प्रलोभन' के लिए दंड और आरोपी पर सबूत का भार स्थानांतरित करना शामिल है। इन कानूनों का घोषित उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और कमजोर आबादी की रक्षा करना है, लेकिन इनकी अस्पष्ट परिभाषाओं, दुरुपयोग और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए आलोचना होती रही है।

उड़ीसा और मध्यप्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानूनबनाने वाले देश के पहले दो प्रदेश रहे। उनके बनाए कानूनों - उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 और मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968-की न्यायिक समीक्षा भी हुई। न्यायपालिका ने रेव. स्टैनिस्लोस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) में कानून की पुष्टि की थी। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत संविधान में दूसरों की धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि जबर्न धर्मांतरण के माध्यम से धर्मांतरण करने के प्रयास सभी नागरिकों को समान रूप से गारंटीकृत "विवेक की स्वतंत्रता" का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रचार केवल अनुनय या बिना किसी दबाव के व्याख्या करने को

संदर्भित करता है। अदालत निर्णय ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से भी जोड़ा, और कहा कि जबर्न धर्मांतरण से अशांति हो सकती है, जो संविधान की सत्तवी अनुसूची (प्रविष्टि I, सूची II) के अनुसार राज्यों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं के साथ संतुलित करते हुए संवैधानिक पाया। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता की आधुनिक व्याख्याओं से पहले का है, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में व्यक्त किया गया है। ऐसे कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का भी प्रतिकार करते हैं और इसलिए इन्हें अनुचित और असंवैधानिक कहा जाता है।

अब नई परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों के हालिया निर्णयों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक जोड़ों से जुड़े मामलों में। इन न्यायालयों ने पाया है कि ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन से कई बार उन व्यक्तियों को परेशान किया गया है और निशाना बनाया गया है जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया या अन्य व्यक्तिगत कारणों से धर्मांतरण करना चुना है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है जहां अंतरधार्मिक विवाहों को रद्द करने या सहमति देने वाले व्यक्तियों को अपराधी बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, तब भी जब अंतरधार्मिक विवाह संबंधों के खिलाफ सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियां उठती हों। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी उन प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो अंतरधार्मिक संबंधों की अनुचित जांच करते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे धर्मांतरण की पूर्व सूचना की आवश्यकता, जबर्न धर्मांतरण और प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण भय और दमन का माहौल बन रहा है, जिससे व्यक्ति अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

अनुभव बताता है कि जबर्न या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के वास्तविक मामलों को संबोधित करने का जब राज्य प्रयास करता है तब अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण होता है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक विवाहों के संदर्भ में। पहले ऐसे कानून के निशाने पर ईसाई होते थे अब मुसलमान हैं। भारतीय समाज को सामूहिक धर्म परिवर्तन की समस्या ईसाई मिशनरियों से रही। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की समस्या सामूहिक धर्म परिवर्तन की न होकर अंतरधार्मिक विवाहों के लिए लव जिहाद का नाम देकर ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि यह सामूहिक धर्म परिवर्तन का छद्म रूप है। हमारे यहां तो अपनी जाति से बाहर भी विवाह की इजाजत परंपरागत समाजों में नहीं है। ऐसे विवाहों पर जातियों की खापों के फैसले दिल दहला देने की हद वाले होते भी सबने देखे हैं। इसीलिए यह चिंता व्यक्त की जाती है कि इस प्रकार के कानून धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। असल बात यह है कि हम कैसे समाज बनाया चाहते हैं? हमारे संविधान की उद्घोषणा है, हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के वास्ते विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; हंसित्य और अवसर की समानता, और उन सभी के बीच बढावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। ऐसा संविधान सम्मत समाज बनाने की ही आज सबसे अधिक जरूरत है।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



अशोक कुमार

शिक्षा की अवधारणा केवल तथ्यों और आँकड़ों के संचय तक सीमित नहीं है; यह एक उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के लक्ष्यों को आकार देती है और उसे आगे बढ़ाती है। इसका वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना और उसके जीवन को प्रगतिशील, सांस्कृतिक और सभ्य बनाना है। यह व्यक्ति और समाज, दोनों के आंतरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली त्रि-ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक, छात्र और सामाजिक वातावरण (पाठ्यक्रम सहित) तीन मुख्य स्तंभ हैं। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की मात्रा बढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को एक स्वस्थ और समृद्ध संसार के लिए तैयार करना, उनकी सोच को विकसित करना और दूसरों को बातों को गहराई से समझने में सक्षम बनाना है।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शिक्षा का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के सर्वांगीण लक्ष्यों को प्राप्त करना रहा है। आधुनिक समय में भी, कोटारी आयोग जैसे विभिन्न आयोगों ने राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने और नैतिक मूल्यों के विकास जैसे व्यापक लक्ष्यों को

निर्धारित किया है। हालाँकि, एक गहरा विरोधाभास यह है कि जहाँ हम सैद्धांतिक रूप से सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वहीं व्यवहार में हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य ध्यान केवल रोजगार-केंद्रित हो गया है। यह असंतुलन लक्ष्य-विहीन शिक्षा को जन्म देता है, जो अंततः शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और गहरा करता है। वर्तमान संरचना और नीतिगत ढाँचा स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 के पारंपरिक पैटर्न पर संरचित रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 5+3+3+4 की नई पाठ्यचर्या प्रणाली अपनाकर इस ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन पर विशेष जोर देना है। यह एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के आँकड़े लगातार छात्रों में बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कौशल की कमी को दर्शाते हैं, जो नीतियों और उनके जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करता है।

सार्वजनिक शिक्षा: वित्तपोषण और संस्थान बाधाएँ

यह एक आम धारणा है कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करती है, और आँकड़े इस धारणा को बल देते हैं। यद्यपि शिक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है (2025-26 के लिए अनुमानित 1,28,650 करोड़), लेकिन यह वृद्धि ग्रामिक हो सकती है। पिछले चार वर्षों से, शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय (केंद्र + राज्य) समस्त घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2.9% पर स्थिर बना हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित 6% के लक्ष्य से बहुत कम है। यह दर्शाता है कि शिक्षा पर खर्च

केवल समग्र आर्थिक विस्तार के साथ तालमेल बिठा रहा है, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कोई विशेष बढ़ावा नहीं मिला है।

इस समस्या को राज्यों का खराब राजकोषीय स्वास्थ्य और गहरा करता है, क्योंकि शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग 76% राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। अपर्याप्त वित्तपोषण का सीधा प्रभाव संस्थागत गुणवत्ता पर पड़ता है:-

शिक्षकों की कमी: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 35%, एसोसिएट प्रोफेसरों के 46% और सहायक प्रोफेसरों के 26% पद रिक्त हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: UDISE (2019-20) के आँकड़ों के अनुसार, केवल 12% स्कूलों में इंटरनेट और 30% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। 23% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। गुणवत्ता में गिरावट: अपर्याप्त संसाधन, शिक्षकों की कमी और पुरानी शिक्षण विधियों के कारण सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे वे निजी संस्थानों के सामने अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं।

निजी क्षेत्र का उदय और संबंधित चिंताएँ

सार्वजनिक शिक्षा की इन्हीं कमियों के कारण पिछले दो दशकों में निजी शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। 2021-22 में, कुल स्कूलों में से 32% से अधिक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल थे। सरकार ने भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं, जिसकी पूर्ति सरकार करती है। हालाँकि निजीकरण ने विकल्प प्रदान किए हैं, लेकिन इसने गंभीर

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी जन्म दिया है। निजी स्कूलों की भारी फीस उन्हें अधिकांश आबादी की पहुँच से बाहर कर देती है, जिससे एक समानांतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण होता है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल उन्हीं को मिलती है जो इसका खर्च उठा सकते हैं।

गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीतिक रोडमैप

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक शक्तिशाली सबक प्रदान करती है। वहाँ की सफलता का आधार निजीकरण नहीं, बल्कि एक मजबूत, समान और पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित प्रणाली है। फिनलैंड की सफलता के स्तंभ हैं: शिक्षक का सम्मान और स्वायत्तता; वहाँ शिक्षक बनाम एक अत्यंत प्रतिष्ठित पेशा है और शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। समग्र मूल्यांकन: प्रोटिंड और उच्च-द्वैव-द्वैव परीक्षाओं के बजाय सीखने की प्रक्रिया और मौखिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। समान अवसर: सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को परवाह किए बिना, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है।

इसके विपरीत, भारत में यह धारणा है कि केवल निजीकरण ही गुणवत्ता ला सकता है। हालाँकि, राजस्थान की आदर्श योजना इस धारणा को चुनौती देती है। इस सरकारी पहल के माध्यम से, प्रणालीगत सुधारों, बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और शिक्षक रिक्रियों को धरकर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में इतना सुधार किया गया कि नामांकन में लगभग 700,000 छात्रों की वृद्धि हुई, जिनमें से कई छात्र निजी स्कूलों से वापस आए। यह साबित करता है कि रणनीतिक निवेश और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा

सकता है।

नीतिगत और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है: वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाना: सरकार को शिक्षा पर अपना बजटीय व्यय GDP के अनुशंसित 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह केवल आवंटन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में भी है। शिक्षक सशक्तिकरण: शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरना, उन्हें नियमित और आकर्षक वेतन देना, और उन्हें विश्व स्तरीय सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षकों को फिनलैंड की तरह अधिक स्वायत्तता और सम्मान देना होगा। NEP 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन: रटने की संस्कृति को समाप्त करने और महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समरथा-समाधान जैसे 21 वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मूल्यांकन में सुधार: पारंपरिक परीक्षाओं से हटकर, मूल्यांकन को PARAKH (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन का आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से नियमित, रचनात्मक और दक्षता-आधारित बनाया जाना चाहिए। निजी शिक्षा का सख्त विनियमन: निजी स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक मजबूत नियामक ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है ताकि वे शिक्षा के मिशन से विचलित न हों।

-अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं
गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व
विभागाध्यक्ष, राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर


आजादी के बाद पहली बार रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है "आइजोल"

राजस्थान के पत्रकारों के दल को आइजोल में इस रेल से यात्रा कराई

आजादी के इतने वर्षों बाद मिजोरम के लोगों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने जा रहा है। आइजोल पहली रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कर्पिजल किशोर शर्मा ने बताया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगत देने वाले हैं। इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजस्थान के पत्रकारों के दल को इस रेल से यात्रा कराई गई।

ये रेल लाइन आइजोल को पूरे देश से जोड़ेगी। पहले ये आइजोल को असम के सिलचर से जोड़ेगी। फिर वहाँ से पूरे देश के साथ कनेक्ट होगी। इस रेलवे रूट में 48 सुरंगें, जिनकी लंबाई 12.8 किमी और 55 बड़े पुल शामिल हैं। इसके साथ ही 87 छोटे पुल भी बने हैं। यह पुल एक पिल्लर पर पर भारत का सर्वोच्च पल्लो है। इसमें पुल की ऊंचाई 114 मीटर है। यह प्रोजेक्ट मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ेगी और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के साथ परिणाम को एक नई दिशा देगा।

गौरलब है कि सैरंग रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास पैसिलिटि सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है।



इसके बाद इस रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सेवा भी शुरू की जाएगी। ये रेल प्रोजेक्ट केंद्र की एक ईस्ट पॉसिबिलिटी का पाठ है, जो करीब 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। इसका मकसद उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अपनी ऊँची एवं हरी-भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर को अपने आंचल में समेटे पहाड़ों की नगरी आइजोल भारत के अग्रणी पर्यटन स्थलों में से एक है।

अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा होने से विश्व पर्यटन क्षेत्र में आइजोल अपनी खूबसूरती का लाभ नहीं मिल पाया है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर मिजोरम के उत्तरी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से 1132 मीटर (3715 फीट) ऊँची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके पश्चिम में त्लावंग नदी घाटी और पूर्व में तुइरियल नदी घाटी बहती है। अब आइजोल रेलमार्ग से जुड़ने जा रहा है। स्थानीय निवासियों में रेलमार्ग से जुड़ने की खुशी छाई हुई है। इनका उत्साह देखते बनता है। स्थानीय एक व्यक्ति ने

कहा कि हम रेल से जुड़ने जा रहे हैं। इसकी खुशी किसी पूर्व से कम नहीं है। पर्यटन में हम आसमान छूने वाले हैं। गौरलब है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित मिजोरम एक दर्शनिय और सांस्कृतिक रूप से जीवंत राज्य है। इसकी सीमायें म्यांमार, बांग्लादेश और भारतीय राज्यों त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती हैं। "पहाड़ी लोगों की भूमि" के रूप में प्रसिद्ध मिजोरम की विशेषता इसके घुमावदार पहाड़ियाँ, घने जंगल और उल्लेखनीय जैव विविधता है। मिजोरम कई जातीय समूहों को वास्तव्यभाव से अपने में समेटे हुए है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता,

■ इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे

सांस्कृतिक समृद्धि और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ, मिजोरम एक स्थायी और शांत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अपार संभावनाएँ हैं। अपने मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के कारण मिजोरम के आने वाले समय में भारत का सिरमौर पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। मिजोरम बाँस और बेंत की कारीगरी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। हस्तशिल्प के लिए भी यहाँ का अलग ही रुतबा है। वस्त्र, बाँस, बेंत की कारीगरी और टोकरी बनाना शिल्पकला यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। कई महिलाएँ बुनाई और टोकरी बनाने का काम करती हैं, जबकि बाँस और बेंत का उद्योग फल-फूल रहा है। रेल मार्ग से जुड़ जाने के बाद यहाँ के अन्य उद्योगों को भी फलने फूलने का अवसर मिल जाएगा। आइजोल के मुख्य पर्यटन स्थलों में आइजोल पीक, डर्टलैंग हिल्स, चनमारी, टामदिल, और हमुईयांग शामिल हैं। प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम पर्यटकों को आनन्द प्रदान करता है।

-मिश्रीलाल पंवार।

राशिफल बुधवार 3 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वाषाढा नक्षत्र रात्रि 11:44 तक, आयुष्मान योग सायं 4:17 तक, वणिज करण सायं 4:07 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरु-मिथुन, शुक-कर्क, शनि-मीन, राहु-सिंह, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:08 तक है। भद्रा सायं 4:07 से रात्रि 4:22 तक है। आज पदमा एकादशी व्रत, जल झूलनी और पतिवर्तनी एकादशी, डोल यारस पर्व है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 10:52 से 12:26 तक, चर्या 3:34 से 5:08 तक, लाभ 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:42

मेघ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विचम्ब हो सकता है। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियाँ हूँ दूर होंगी। मन का भय समाप्त होगा। विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सफल हो सकते हैं।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगी।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोते से धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगी।